प्रारूप–I

संचिका संख्या–4/क्षे0स्था0 संविदा (आवंटन)–16–01/2023–..................(4)/रा0 पटना–15,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

दिनांक–.............

विषय :– **राज्य के जिलान्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालयों में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु मुख्य शीर्ष 2029 के तहत 2802 संविदा सेवायें मद में वित्तीय वर्ष 2025–26 में 6,36,52,281/–(छः करोड़ छत्तीस लाख बावन हजार दो सौ इक्कासी रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

2. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्य शीर्ष–2029–भू–राजस्व–उपमुख्य शीर्ष–00, लधुशीर्ष–104 सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध, उपशीर्ष–0001–राजस्व प्रशासन पर व्यय मांग संख्या–40 विपत्र कोड–40–2029001040001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष–2802 संविदा सेवायें से विकलनीय होगा।

3. राज्य के जिलान्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालयों में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों को मानदेय भुगतान हेतु संलग्न विवरणी **(अनुसूची–I)** के अनुरूप कुल–**6,36,52,281/–(छः करोड़ छत्तीस लाख बावन हजार दो सौ इक्कासी रूपये)** मात्र की स्वीकृति दी जाती है। उक्त राशि विपत्र कोड–40–2029001040001 के अन्तर्गत स्वीकृत पद के विरूद्ध संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए ही भुगतेय होगा।

4. आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलें के समाहर्त्ता होंगें तथा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार से की जायेगी।

6. राशि की निकासी के क्रम में वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर वित्त विभाग, बिहार द्वारा एतत् संबंधी निर्गत परिपत्र/आदेश/निदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जायेगा।

7. उक्त स्वीकृत राशि के व्यय के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–8025 दिनांक–21.05.2013, 2401, दिनांक–18.07.2007 एवं 1718, दिनांक–06.05.2010 में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि से राज्य के जिला अन्तर्गत **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालयों में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों** के पारिश्रमिक का ही भुगतान किया जायेगा। इस राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी निश्चित रूप से अगले माह की 7वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

10. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11. प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(अरूण कुमार सिंह),
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–4/क्षे0स्था0 संविदा (आवंटन)–16–01/2023–............(4)/रा0, पटना–15, दिनांक–

ई–मेल /फैक्स प्रतिलिपिः–सभी संबंधित समाहर्त्ता, बिहार/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विभागीय प्रशाखा–5 'बजट शाखा' (आवंटन निर्गत करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(अरूण कुमार सिंह),
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–4/क्षे0स्था0 संविदा (आवंटन)–16–10/2023–205–(4)/रा0, पटना–15, दिनांक–30/9/25

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

29/9/25
(अरूण कुमार सिंह),
विशेष सचिव।